GRAM: आयुष - AYUSH Phone: 0522 2717801

# क्षेत्रीय आयुर्वेद नेत्र रोग अनुसंधान संस्थान

(केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)
INS-106, सेक्टर–25,इन्दिरानगर,लखनऊ–226016

REGIONAL AYURVEDA RESEARCH INSTITUTE FOR EYE DISEASES
(Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of AYUSH, Govt. of India)
INS-106, Sector-25, Indira Nagar, Lucknow-226016
Email: - nvari.lko@gmail.com

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

फा.स. 3-37/2016-क्षे.आ.ने.रो.अ.सं./लख./स्था./नियुक्ति/ 931 दिनांक: 04/11/2019

## विज्ञापन सं.0 61 /2019

क्षेत्रीय आयुर्वेद नेत्र रोग अनुसंधान संस्थान, सेक्टर-25, इंदिरा नगर, लखनऊ, जो कि केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सी.सी.आर.ए.एस.) का एक परिधीय संस्थान है एवं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय है, द्वारा निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।

| क्रम. सं | पद का नाम | पदों की संख्या | योग्यता / अनुभव / आयु सीमा | आयु सीमा | वेतन का स्केल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | फार्मेसिस्ट-ग्रेड-1 | 02- दो (ओ.बी.सी.-01, अनारक्षित-01,) | आवश्यक :<br>(अ) डिप्लोमा इन फार्मेसी/डी फार्मा (आयु.) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से साथ ही मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक अस्पताल मे 2 वर्ष का कार्य अनुभव या बी. फार्मा (आयुर्वेद)। | अधिकतम 27 वर्ष (भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा मे छूट) | 7th सीपीसी लेवल-5 + लागू भत्ते |
| 2. | लैब टेकनीशियन (क्लिनिकल) | 02-दो (अनुसूचित जाति-01, अनारक्षित-01) | आवश्यक :<br>(अ) 10+2 विज्ञान विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से डी.एम.एल.टी.<br>(ब) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक/अनुसंधान अस्पताल की प्रयोगशाला मे 02 वर्ष का कार्य अनुभव | अधिकतम 27 वर्ष (भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा मे छूट) | 7th सीपीसी लेवल-4 + लागू भत्ते |
| 3. | मल्टी टास्क स्टाफ (कक्ष परिचारक/ कक्ष परिचारिका) | 02-दो-(अनुसूचित जनजाति – 01, अनारक्षित-01) | आवश्यक :<br>(अ) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वी अथवा समकक्ष<br>(ब) पूर्व अनुभव मान्यता प्राप्त अस्पताल/ डिस्पेन्सरी/चाइल्ड वेल्फेयर सेन्टर | अधिकतम 27 वर्ष (भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा मे छूट) | 7th सीपीसी लेवल-1 + लागू भत्ते |
| 4. | लैब अटेंडेंट | 03-तीन-( अनुसूचित जाति- 01, अनारक्षित–02,<br>*जिसमें से 01 पद पीडब्ल्यूडी हेतु आरक्षित | आवश्यक :<br>(अ)10+2 विज्ञान विषय के साथ<br>(ब) मान्यता प्राप्त संस्थान/अस्पताल/ प्रयोगशाला में 01 वर्ष का कार्य अनुभव | अधिकतम 27 वर्ष (भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट) | 7th सीपीसी लेवल-2 + लागू भत्ते |

***नोट:*** लैब अटेंडेंट का 01 पद पर्सन विद डिसेबिलिटीज (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित है जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी एवं साथ में लेपरेसी ठीक, ड्वारफिस्म, एसिड अटैक पीड़ित, सेरेब्रल पाल्सी और मस्कयुलर डिसट्रॉफी की श्रेणी भी निहित है । उनकी शारीरिक आवश्यकता की पहचान बैठने, खड़े होने, चलने, पढ़ने और लिखने, उंगलियों के हेरफेर, देखने और सुनने के रूप में की गई है।

## सामान्य शर्तें:

1. पद अस्थाई हैं परंतु इनके निरंतर जारी रहने की संभावना है और नियुक्त व्यक्ति नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगें।
2. चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है।
3. इन पदों को अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरित किया जा सकता है और अभ्यर्थी को परिषद के किसी भी परिधीय संस्थान/केंद्र/एकक मे अपनी सेवा देने के लिए तैयार होना चाहिए।
4. आयु 01.01.2019 से मानी जाएगी। केंद्र सरकार नियमों के अनुसार, आयु में छूट, जहाँ भी लागू हो, केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी।
5. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक का अनुभव माना जानेगा।
6. **<u>आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि:</u>**
   रोजगार समाचार पत्र मे इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर।
7. पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्ति उचित माध्यम से आवेदन सबमिट करें। सेवा में रहे अभ्यर्थी का आवेदन अग्रेषित करते समय, संस्थान प्रमुख यह सत्यापित करें कि आवेदक प्रशासनिक और सतर्कता की दृष्टि से मुक्त है और उस पर कोई सतर्कता कार्यवाही लंबित नहीं है।
8. देर से प्राप्त आवेदनों/अपूर्ण आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा।
9. चयन केवल लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर किया जाएगा।
10. इस चयन के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा या अभ्यर्थी की ओर से किसी भी रूप में प्रचार अथवा राजनीतिक या बाहरी प्रभाव डालने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।
11. प्रत्येक पद के लिए अभ्यर्थी को पृथक आवेदन सबमिट करना होगा।
12. रिक्तियों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।
13. आवेदन फ़ॉर्म परिषद बेबसाइट <u>www.ccras.nic.in</u> से डाउनलोड किया जा सकता है।
14. दो एक जैसी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपेक्षित हैं। एक फोटोग्राफ को आवेदन फ़ॉर्म में निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया जाए और दूसरी फोटोग्राफ को आवेदन फॉर्म के साथ स्टेपल किया जाए। विधिवत भरे गए आवेदन फॉर्म प्रभारी सहायक निदेशक, क्षेत्रीय आयुर्वेद नेत्र रोग अनुसंधान संस्थान, आईएनएस-106, सेक्टर-25, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016 को भेजें।
15. पहचान सत्यापन: लिखित परीक्षा में उपस्थित होने हेतु जब अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो वे कम से कम एक वैध फोटो पहचान पत्र (मूल रूप में और एक फोटो प्रति) साथ में लाएँ, जिसमे फोटोग्राफ, नाम, अभ्यर्थी की जन्म तिथि, जैसे ईपीआईसी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, परीक्षा केंद्र के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र हो। इनकी फोटोकॉपी सत्यापन के उद्देश्य से संस्थान द्वारा रखी जाएगी।
16. आवेदन फॉर्म में भरे विवरण के आधार पर, आवेदित पदों हेतु योग्य पाए गए सभी अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फॉर्म के साथ उनकी पात्रता/जाति/जन्म तिथि/अनुभव आदि से संबंधित किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन फ़ॉर्म में अभ्यर्थी द्वारा सबमिट विवरण को नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व दस्तावेज सत्यापन स्तर पर उनके मूल दस्तावेज से सत्यापित किया जाएगा।

17. आरक्षित श्रेणियो के अभ्यर्थियो के लिए केवल ऐसी श्रेणियो के लिए आर[illegible] के [illegible] में आयु में छूट देने की अनुमति होगी। आरक्षित श्रेणियो के अभ्यर्थी, जिन्होने अनारक्षित पद के विरुद्ध आवेदन किया है, आयु में छूट के पात्र नही है। तथापि, दिव्याग वर्ग के व्यक्तियों को यदि वे पद पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए उचित हो तो, उनके लिए लागू आयु मे छूट मिलेगी, बिना इस तथ्य की परवाह किए कि ये पद पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित हैं अथवा नहीं।

18. भारत सरकार के समय-समय पर सशोधित दिनांक 10 अप्रैल, 1997 के जी.एस.आर. 208 (E) के अनुसार, ऐसे अभ्यर्थी जो 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य के अधिवासी थे, को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और महिलाएँ जो कानूनी रूप से पति से अलग है, खिलाडियों, भूतपूर्व सैनिकों और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी को भारत सरकार द्वारा आयु मे छूट दी जाएगी।

19. सस्थान प्रभारी को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण दिए विज्ञापन/ सभी/ किसी पद के लिए भर्ती को रद्द कर सकता है।

20. लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए देय नही होगा।

**डिसक्लेमर: अभ्यर्थी यह नोट करें कि केवल लिखित परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्रों से यह इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि परिषद द्वारा उनकी अभ्यर्थिता स्वीकार कर ली गई है और आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों को परिषद ने सत्य एवं सही स्वीकार कर लिया है। अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन फ़ॉर्म में कोई ऐसी सूचना नही भरें जो मिथ्या हो। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे भर्ती विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि वे आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करता/करती है। संपूर्ण भर्ती/चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थता "विशुद्ध रूप से अनंतिम" है जिसे भर्ती/चयन प्रक्रिया के अंतिम स्तर पर आवेदित पद के लिए विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता की जांच की जाएगी। यदि, यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार पात्रता मापदड को पूरा नही करता है और अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना मिथ्या है या विज्ञापन में निर्दिष्ट पद के लिए उल्लिखित पात्रता मापदंड जिसमें आयु, श्रेणी, आवेदन शुल्क, अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता और अनुभव में अनुरूपता नही है, तो उसकी अभ्यर्थिता को चयन के किसी भी स्तर पर अस्वीकार किया जा सकता है, यदि पहले से नियुक्त हों तो हटाया/पदच्युत किया जा सकता है।**

प्रभारी सहायक निदेशक